

लिस्टिंग विभाग
बीएसई लिमिटेड
फिरोज जीजीभाय टावर्स
दलाल स्ट्रीट
मुंबई- 400001
स्क्रिप कोड- 540530

लिस्टिंग विभाग
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई)
मुंबई 400051
एनएसई सिंबल- हडको

विषय: सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत कॉर्पोरेट प्रकटीकरण: राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी आदेश

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 30 के अंतर्गत कॉर्पोरेट प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुक्रम में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि दिनांक 6 सितंबर, 2024 के पत्र के माध्यम से, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से दिनांक 6 सितंबर, 2024 को 3.50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाने का आदेश प्राप्त हुआ है।

विनियम 30 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

प्राधिकरण का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक
की गई कार्रवाई या शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश की प्रकृति और विवरण,	एनएचबी द्वारा 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के सांविधिक निरीक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के तहत जुर्माना लगाया गया।
प्राधिकरण से आदेश प्राप्त होने की तिथि	6 सितंबर, 2024
"किए गए या कथित रूप से किए गए उल्लंघन" अवैध कार्यों का विवरण/	आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करना: (i) अपने ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करना तथा खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करना (ii) 31 मार्च, 2022 को 3.90 करोड़ रुपये की जमा राशि रखने वाले जमाकर्ताओं के पक्ष में संपत्तियों पर फ्लोटिंग चार्ज न बनाना तथा उसका आरओसी (ROC) के साथ पंजीकरण न करना।"
सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, जहां तक संभव हो मौद्रिक रूप में परिमाणान्तरक हो	वित्तीय भार 3,50,000/- रु. (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)

कृपया सूचनार्थ

धन्यवाद

भवदीय
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विकास गोयल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी